



प्रेषक,

राज कुमार,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ०प्र०,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग

लखनऊ : दिनांक 22 जुलाई, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में बिरजू महाराज कथक संस्थान, लखनऊ को गैर वेतन मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्रथम किश्त की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 645/सं०नि०-20(बि०म०क०सं०/गै०वे०-09)/2023-24 दिनांक 11 जून, 2026 एवं निदेशक, बिरजू महाराज कथक संस्थान, लखनऊ के पत्र संख्या- 35/बि०म०क०सं० (10)/2026 दिनांक 15 मई, 2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा लेखानुभाग के परीक्षणोपरान्त संस्थान द्वारा उपलब्ध कराये गये बैंक स्टेटमेंट के आधार पर संस्थान के खाते में माह अप्रैल, 2026 में ओपनिंग बैलेंस रू० 35,10,655/- को दृष्टिगत रखते हुए वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रथम किश्त की धनराशि का समायोजन करने के उपरान्त रू० 1.55 लाख अवमुक्त कराये जाने के संबंध में अनुरोध किया गया है।

उक्त संबंध में अवगत कराना है कि बिरजू महाराज कथक संस्थान, लखनऊ को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान-20- सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के अन्तर्गत रू० 110.00 लाख की धनराशि प्राविधानित है। बैंक स्टेटमेंट के परीक्षण पर संस्थान के बैंक खाते में दिनांक 31.03.2026 को अंतिम अवशेष धनराशि रू० 35.60 लाख प्रदर्शित हो रही है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में बिरजू महाराज कथक संस्थान, लखनऊ के बैंक खाते में उपलब्ध धनराशि रू० 35.60 लाख को समायोजित करते हुए संस्थान को 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में प्रथम किश्त के रूप में **रू० 1.06 लाख (रूपये एक लाख छः हजार मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

- (1) स्वीकृत धनराशि के आहरण/व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2025, दिनांक- 28-मार्च, 2026 में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (3) स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल अनुमोदित मद/योजनाओं पर किया जायेगा।
- (4) स्वीकृत धनराशि कोषागार से एकमुश्त आहरित करने के बजाय आवश्यकतानुसार व्यय की सीमा तक ही आहरित की जायेगी।
- (5) प्रश्नगत स्वीकृति संस्कृति निदेशालय/ बिरजू महाराज कथक संस्थान, लखनऊ द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है यदि बजट के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व संस्कृति निदेशालय/ बिरजू महाराज कथक संस्थान, लखनऊ का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (6) यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन धनराशियों का प्रदेशन ही अकेले किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता, व्यय करने के लिए बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों अथवा अन्य स्थाई आदेशों से शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की, जहाँ आवश्यकता हो, व्यय करने के पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय। उपर्युक्त स्वीकृति धनराशि के सम्बन्ध में वित्त विभाग के मितव्ययता सम्बन्धी आदेशों तथा व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (7) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- - 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2025, दिनांक- 28-मार्च, 2026 एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के नियमों व इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों में दिये गये दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड्स आफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाएगा।
- (8) बिरजू महाराज कथक संस्थान, लखनऊ द्वारा आगामी किश्त अवमुक्त किये जाने से पूर्व इस आशय का प्रमाण पत्र भी दिया जाना होगा कि विगत वर्षों में अवमुक्त की गयी धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि अवशेष एवं अप्रयुक्त शेष नहीं है।
- (9) बिरजू महाराज कथक संस्थान, लखनऊ को पूर्व वर्षों में स्वीकृत /अवमुक्त अनुदान की धनराशि से सम्बन्धित स्थानीय लेखा परीक्षा/आडिट रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- (10) उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय से संबंधित बिल / बाउचर्स एवं सम्पूर्ण लेखा-जोखा सुरक्षित रखा जायेगा।
3. इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,06,000 (रुपये एक लाख छह हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या 092 लेखा शीर्षक 2205001011900** बिरजू महाराज कथक संस्थान **मानक मद 20** सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।
4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय- ज्ञाप संख्या - 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2025, दिनांक- 28-मार्च, 2026 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
राज कुमार
संयुक्त सचिव।

संख्या- 176 /2026/ 1918 (1) /चार-2206-1690234, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 3- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 5- निदेशक, बिरजू महाराज कथक संस्थान, लखनऊ।
- 6- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
- 7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
राज कुमार
संयुक्त सचिव।